

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूँ, जिला जयपुर
पीठासीन अधिकारी :- दिलीप सिंह

प्रकरण संख्या
107 / 2025

दायर दिनांक
08.09.2025

निर्णय दिनांक
29.09.2025

उनवान

1. प्रभूदयाल पुत्र बोदूराम, जाति मीणा, निवासी ग्राम डेहरा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक 29.09.2025

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम डेहरा, पटवार हल्का जाटावाली, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सामोद, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर में भूमि हाल खाता संख्या 244 में वर्णित आराजी हाल खसरा नम्बर 111 रकबा 0.0108 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता, खसरा नम्बर 1801 रकबा 0.0067 हैक्टेयर किस्म बारानी, खसरा नम्बर 1837 रकबा 0.0395 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1841 रकबा 0.0041 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता, खसरा नम्बर 1842 रकबा 0.0018 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता कुल किता 5 का कुल रकबा 0.0629 हैक्टेयर स्थित है। उक्त भूमियों के गत खसरा नम्बर 1663/520 1665/520, 1703/1596, 1747/447 कुल किता 4 का कुल रकबा 0.0610 हैक्टेयर रहे है। हाल खसरा नम्बर 111, 1841, 1842 की किस्म गै.मु. रास्ता प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में है।

उक्त वर्णित भूमियों के हाल खसरा नम्बर 111, 1841, 1842 के गत खसरा नम्बर 1663/520 किस्म बारानी-2, खसरा नम्बर 1665/520 किस्म बारानी-2. खसरा नम्बर 1703/1596 किस्म चाही 2 रहे है। हाल ही में तृतीय सेटलमेन्ट की कार्यवाही के दौरान गत राजस्व रिकॉर्ड से हाल राजस्व रिकॉर्ड बनाया गया है तथा दौराने हाल सेटलमेन्ट 1663/520 किस्म बारानी-2 खसरा नम्बर 1665/520 किस्म बारानी-2, खसरा नम्बर 1703/1596 के हाल खसरा नम्बर 111, 1841, 1842 की किस्म पूर्व राजस्व रिकॉर्ड अनुसार दर्ज नहीं करते हुए हाल खसरा नम्बरों की किस्म बारानी-2 व चाही-2 के स्थान पर गै.मु. रास्ता दर्ज कर दी गई जबकि मौके पर उक्त खसरा नम्बरान में कोई रास्ता नहीं है तथा आराजी खसरा नम्बर 111 में प्रार्थी द्वारा सौलर पम्प सेट लगा रखा है तथा खसरा नम्बर 1841 में पुख्ता मकानात का निर्माण कर रखा है एवं खसरा नम्बर 1842 में भी पुख्ता निर्माण कर रखा है एवं मौके पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है।

प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के कार्यालय में जाकर दिनांक 04.09.2025 को हाल राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटि को दुरुस्त करवाने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जिस पर अप्रार्थी द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटि को दुरुस्त नहीं किया गया तथा सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने हेतु कहा गया जिस कारण प्रार्थी को उक्त प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी हुआ है।


[Handwritten Signature]

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी वाके ग्राम डेहरा, पटवार हल्का जाटावाली, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र शांभोत तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित भूमि आराजी हाल खसरा नम्बर 111, 1841, 1842 की किस्म गै.गु. रास्ता के स्थान पर पूर्व राजस्व रिकॉर्ड खसरा नम्बर 1663/520, 1665/520, 1703/1606 के अनुसार बारानी-2/चाही-2 अंकित कर हाल राजस्व रिकॉर्ड को गत राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार इन्द्राज दुरुस्त करने बाबत अप्रार्थी को आदेशित किये जाने की कृपा करें।

पत्रावली पेश हुई। दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली पर तहसीलदार चौमूं से रिपोर्ट दिनांक 19.09.2025 प्राप्त हुई। जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली में अधिवक्ता प्रार्थी के निवेदन पर अधिवक्ता प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गयी। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, रिकॉर्ड, तहसीलदार चौमूं की रिपोर्ट दिनांक 19.09.2025 का बगौर अवलोकन किया गया। तहसीलदार चौमूं द्वारा रिपोर्ट दिनांक 19.09.2025 में स्पष्ट अंकित किया है कि ग्राम डेहरा के हाल खसरा नम्बर 111 रकबा 0.0108 हैक्टेयर की किस्म गै0मु0रास्ता के स्थान पर किस्म बारानी, हाल खसरा नम्बर 1841 रकबा 0.0041 हैक्टेयर की किस्म गै0मु0रास्ता के स्थान पर किस्म बारानी, हाल खसरा नम्बर 1842 रकबा 0.0018 हैक्टेयर की किस्म गै0मु0रास्ता के स्थान पर किस्म चाही शुद्ध किये जाने की अभिशंका की गई है। जिससे प्रार्थी का प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट का स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है तथा वाके ग्राम डेहरा, पटवार हल्का जाटावाली, भू0अ0नि0 सामोद, तहसील चौमूं जिला जयपुर स्थित हाल खसरा नम्बर 111 रकबा 0.0108 हैक्टेयर की किस्म गै0मु0रास्ता के स्थान पर किस्म बारानी, हाल खसरा नम्बर 1841 रकबा 0.0041 हैक्टेयर की किस्म गै0मु0रास्ता के स्थान पर किस्म बारानी, हाल खसरा नम्बर 1842 रकबा 0.0018 हैक्टेयर की किस्म गै0मु0रास्ता के स्थान पर किस्म चाही दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के आदेश दिये जाते हैं। पालना हेतु तहसीलदार चौमूं को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.09.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया


दिलीप सिंह

आर.ए.एस

उपखण्ड अधिकारी चौमूं, जयपुर